



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17022023-243697
CG-DL-E-17022023-243697

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 703]
No. 703]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 17, 2023/माघ 28, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 17, 2023/MAGHA 28, 1944

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2023

का.आ. 733(अ).—केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है कि बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, मैसूर, कर्नाटक की सेवाएं, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की पहली अनुसूची की मद 32 के अधीन आती हैं, को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया जाना चाहिए;

और, केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3706(अ), तारीख 5 अगस्त 2022 द्वारा, तारीख 19 अगस्त, 2022 से छह मास की अवधि के लिए उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उक्त उद्योग को अंतिम बार लोक उपयोगी सेवा घोषित किया;

और, केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में छह मास की अवधि के लिए उक्त उद्योग को लोकोपयोगी सेवा प्रास्थिति का विस्तार किया जाना अपेक्षित है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखंड (vi) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उक्त उद्योग को तारीख 19 फरवरी, 2023 से छह मास की और अवधि के लिए लोकोपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/1/2016-आई.आर.(पी.एल.)]

दीपिका कच्छल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th February, 2023

S.O. 733(E).—Whereas the Central Government is satisfied that public interest so requires that the services in the Bank Note Paper Mill India Private Limited, Mysore, Karnataka, which is covered under item 32 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), to be a public utility service for the purposes of the said Act;

And whereas the Central Government has lastly declared the said industry to be public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months with effect from the 19th August, 2022 *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number S.O. 3706(E), dated the 5th August, 2022;

And whereas the Central Government is of the opinion that public interest requires the extension of the public utility service status to the said industry for a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the services of the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act for a further period of six months with effect from the 19th February, 2023.

[F. No. S-11017/1/2016-IR (PL)]

DEEPIKA KACHHAL, Jt. Secy.